न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 21/2018

1. किशनाराम पुत्र डूंगरराम जाति नायक निवासी 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. ग्राम पंचायत 3 सी छोटी तहसील व पंचायत समिति श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पचांयत 3 सी छोटी दिनांक 14.02.2013 को निगरानीकर्ता के पिता का पट्टा शुदा प्लाट का रेस्पोडेन्ट के नाम पट्टा जारी किया गया है बमुराद मन्सुख है।

उपस्थित :—

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता निगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक: 01.06.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' निगरानीकर्ता के पिता डूंगरराम पुत्र लच्छूराम को ग्राम पंचायत चक 18 जैड तहसील श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.08.1956 को आबादी भूमि चक 4 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के अहाता संख्या 41 में से 1/2 हिस्सा यानि 25X40 फीट का पट्टा जारी किया हुआ है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। पट्टा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। जबकि गैर निगरानीकर्ता का कभी उपरोक्त जगह पर कब्जा एवं रिहायशी नहीं रही है तो बिना कब्जा बिना किसी जांच किये पट्टा जारी किया गया है , जो निरस्त करने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता के पिता को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही निगरानीकर्ता को नोटिस दिया। निगरानीकर्ता को सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया इसलिए भी आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कमेटी का गठन किया गया ओर ना ही कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई तथा ना ही मौका निरीक्षण किया गया ओर ना ही मौका नक्शा बनाया गया तमाम कार्यवाही गैर कानूनी तरीके से की गई है। तथा पंचायत अधिनियम/नियम के नियमों की पालना नहीं की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का आदेश पट्टा दिनांक 14.02.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, निगरानीकर्ता के पिता डूंगरराम पुत्र लच्छूराम को ग्राम पंचायत चक 18 जैड तहसील श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.08.1956 को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

आबादी भूमि चक 4 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के अहाता संख्या 41 में से 1/2 हिस्सा यानि 25X40 फीट का पट्टा जारी किया हुआ है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। पट्टा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। जबकि गैर निगरानीकर्ता का कभी उपरोक्त जगह पर कब्जा एवं रिहायशी नहीं रही है तो बिना कब्जा बिना किसी जांच किये पट्टा जारी किया गया है , जो निरस्त करने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता के पिता को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही निगरानीकर्ता को नोटिस दिया। निगरानीकर्ता को सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया इसलिए भी आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कमेटी का गठन किया गया ओर ना ही कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई तथा ना ही मौका निरीक्षण किया गया ओर ना ही मौका नक्शा बनाया गया तमाम कार्यवाही गैर कानूनी तरीके से की गई है। तथा पंचायत अधिनियम/नियम के नियमों की पालना नहीं की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का आदेश पट्टा दिनांक 14.02.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आहता संख्या 41 का 1/2 हिस्सा बिरमा पुत्र सावण सिंह व 1/2 हिस्सा डूंगरराम पुत्र लच्छूराम निवासी 4 सी छोटी के नाम से ग्राम पंचायत 18 जैड ब.हि.ब. जारी किया गया है। उक्त अहाता की जांच करने पर उक्त अहाता किस चक के किस मु.नं. की आबादी भूमि का जारी किया गया पट्टा में इसको उल्लेखित नहीं होना पाया गया। अहाता संख्या 41 में 1/2 भाग निगरानीकर्ता के पिता डूंगरराम पुत्र लच्छूराम के हिस्सा में जारी पट्टा पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सख्या 21 दिनांक 14.02.2013 रामप्रताप पुत्र सोहनलाल निवासी 4 सी छोटी को जारी किया जाना निगरानीकार ने उल्लिखित किया है। परन्तु इस आक्षेपित पट्टे के अवलोकन से पुनः यह स्पष्ट नहीं है कि यह पट्टा किस चक की आबादी भूमि के किस अहाता नम्बर का जारी किया है। इससे निगरानीकार के इस कथन की पुष्टि नहीं हुई है कि पूर्व में उसके पिता को जारी अहाता नम्बर 41 के पट्टे का पुनः पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त दोनो पट्टों की जांच में पाया गया है कि पट्टे किस चक की आबादी भूमि में जारी किया गया है स्पष्ट नही है। अतः ग्राम पंचायत 3 सी छोटी को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अहाता/पट्टों की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत् पाये जाने वाले पट्टे को मान्य किये जाने बाबत नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिशिचित करें। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/06/2018

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)